नियम और अपवाद

द हिन्दू

पेपर- II (राजव्यवस्था)

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश न्यायाधीशों को याद दिलाता है कि वे सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते। यह भी याद दिलाता है कि जमानत कानून के मूल सिद्धांत काफी सरल हैं।

मनीष सिसोदिया के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लगभग डेढ़ साल जेल में रहने के बाद जमानत दे दी।
- निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।
- अदालत ने कहा कि जब कोई मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करता है, तो जमानत देना आदर्श होना चाहिए, जब तक कि संदिग्ध के भागने का खतरा न हो या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सके।
- सिसोदिया को 2023 की शुरुआत में सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।

जमानत कानून के लिए यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?

- **जमानत नियम है, अपवाद नहीं :** मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि जमानत नियम है, अपवाद नहीं।
- **दस्तावेजी साक्ष्य और जमानत मानदंड :** इस मामले में मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य शामिल थे, जो यह दर्शाता है कि जमानत ही आदर्श होनी चाहिए, जब तक कि भागने का जोखिम या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न हो।
- **न्यायाधीशों की प्रवृत्ति की आलोचना :** सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यायाधीशों की इस प्रवृत्ति की आलोचना की है कि वे समय पर सुनवाई के सिद्धांत की अनदेखी करते हुए अनावश्यक रूप से जमानत देने से इनकार कर देते हैं। इससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है।
- **नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना :** अक्टूबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर मुकदमे में देरी होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और बिना किसी लंबी अवधि के पूर्व-परीक्षण कारावास के निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के महत्व को उजागर करता है, खासकर जब मुकदमे में देरी हो रही हो।

दिल्ली शराब नीति मामला:

- **दिल्ली के उपमुख्यमंत्री का मामला :** श्री सिसोदिया को 2023 की शुरुआत में सीबीआई और फिर प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
- **दिल्ली के सीएम का मामला :** इस साल अरविंद केजरीवाल की बारी आई, लेकिन वे धन शोधन के आरोपों से संबंधित ईडी के मामले में अंतरिम जमानत पाने में कामयाब रहे, जबकि वे अभी भी सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय के आदेश :** न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन के आदेश ने लगभग डेढ़ साल जेल में रहने के बाद श्री सिसोदिया की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने से कहीं अधिक काम किया है।

- **मुकदमे की कार्यवाही में लंबे समय तक विलंब :** इसने इस सिद्धांत को सामने रखा है कि यदि मुकदमे की कार्यवाही में लंबे समय तक विलंब होता है तो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी व्यक्ति की सशर्त रिहाई का प्रावधान नहीं किया जा सकता है।
- **न्यायाधीशों का 'सुरक्षित' दृष्टिकोण :** पीठ ने कुछ न्यायाधीशों के बीच इस सिद्धांत की अनदेखी करने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला कि जमानत नियम है, अपवाद नहीं।
- **ईडी का आश्वासन :** श्री सिसोदिया के मामले में, ईडी ने आश्वासन दिया कि मुकदमा 6-8 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा, अदालत ने उन्हें यह अनुमति दी थी कि यदि मुकदमा बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है या लंबा खिंचता है तो वे फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **न्यायालय की अज्ञानता :** ट्रायल कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने ही शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट उल्लेख पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि गुण-दोष के आधार पर उनके आवेदन को खारिज कर दिया और दावा किया कि मुकदमे के शुरू होने में हुई देरी उनके द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं के कारण हुई।

मनीष सिसोदिया को जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जमानत कानून के सिद्धांत, निर्दोषता की धारणा और स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देते हैं, न्यायपालिका द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए। न्यायाधीशों को नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की क्षमता में जनता के विश्वास के संभावित नुकसान और अनावश्यक पूर्व-परीक्षण कारावास के खिलाफ सावधान रहना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जमानती अपराधों में जमानत एक अधिकार है।
2. गैर-जमानती अपराध में अभियुक्त की जमानत हेतु विवेकाधिकार न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements:

1. Bail is a right in bailable offences.
2. The court has the discretion to grant bail to the accused in non-bailable offences.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: भारत में मौजूद जमानत कानून की चर्चा करें।हाल ही में मनीष सिसोदिया की जमानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत की जमानत प्रणाली के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत में मौजूद जमानत कानून की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में मनीष सिसोदिया की जमानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की महत्ता की चर्चा कीजिए।
- अंत में आगे की राह देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।